

संयुक्त निरीक्षण आख्या

जनपद उत्तरकाशी व देहरादून में हनोल-त्यूनी जल विद्युत परियोजना के कार्यालय, कर्मचारी आवास एवं निर्मित सामग्री भण्डारण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सनफ्लैग पावर लि० को उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग के पत्र सं० जी०आई०-1781/7-1-2008-800(2213)/2008 दिनांक 21.08.2008 के द्वारा देवता रेंज के भासला कक्ष सं०-1 के अन्तर्गत 0.759 हे० वन भूमि 10 वर्षों के लिए लीज पर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त लीज के दिनांक 21.08.2018 को समाप्त हो जाने से पूर्व लीज नवीनीकरण प्रस्ताव के गठन हेतु वरिष्ठ प्रबन्धक, सनफ्लैग पावर लि०, चकराता रोड़, त्यूनी के प्रार्थना पत्र-SF/RP/FOREST/2018 दिनांक 21.06.2018 एवं उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के पत्रांक-19/12-1 दिनांक 03.07.2018 के क्रम में उक्त पूर्व स्वीकृत लीज वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण श्री आर० एन० श्रीवास्तव, उप प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला, आवेदक सनफ्लैग पावर लि० के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री राजीव पाण्डेय, वन क्षेत्राधिकारी, देवता श्री राजेन्द्र प्रसाद थपलियाल एवं राजस्व विभाग के प्रतिनिधि श्री बी० एल० शाह, राजस्व निरीक्षक, ठडियार की उपस्थिति में दिनांक 12.07.2018 को सम्पन्न किया गया। प्रश्नगत स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार है :-

1. प्रश्नगत लीज स्थल मोरी-त्यूनी मोटर मार्ग पर मोरी से लगभग 09 कि०मी० की दूरी पर मोटर मार्ग के दाई ओर देवता रेंज के भासला ब्लाक कक्ष सं०-1 के अन्तर्गत कुल-0.759 हे० वन भूमि में है, जो आरक्षित वन के अन्तर्गत आता है।
2. प्रश्नगत लीज स्थल का पूर्व में ही सीमांकन कार्य किया जा चुका है तथा सीमांकन पीलर्स मौके पर विद्यमान हैं।
3. प्रश्नगत लीज स्थल में परियोजना कार्यालय, कर्मचारी आवास एवं निर्माण सामग्री के भण्डारण हेतु भण्डार गृहों के निर्माण हेतु 0.744 हे० एवं निर्माण स्थल में जल आपूर्ति हेतु पाईप लाईन के लिए 0.015 हे० कुल कुल-0.759 हे० वन भूमि प्रस्तावित की गयी है। आवेदित स्थल का कोर्डिनेट्स E-77°59'9" N-30°58'42" है।
4. प्रश्नगत लीज स्थल पर वर्तमान में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा लीज प्रयोजन से सम्बन्धित कार्य यथा परियोजना के कार्यालय, कर्मचारी आवास एवं निर्मित सामग्री का भण्डारण नहीं किया गया है।
5. प्रश्नगत लीज स्थल में चीड़ एवं सुरई प्रजाति के विभिन्न व्यास वर्ग के कुल 09 वृक्ष विद्यमान हैं, जिन्हें यथासम्भव संरक्षित किया जाना आवश्यक होगा।
6. प्रश्नगत लीज स्थल के पश्चिम दिशा में लगभग 200 मी० की दूरी पर आरक्षित वन का मोरा कक्ष संख्या-2 स्थित है जिसमें चीड़ आदि प्रजातियों का जंगल विद्यमान है।
7. आवेदक को लीज नवीनीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार से विधिवत स्वीकृति पुनः प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
8. प्रश्नगत 0.759 हे० वन भूमि को हनोल-त्यूनी जल विद्युत परियोजना के कार्यालय कर्मचारी आवास एवं निर्मित सामग्री भण्डारण हेतु सनफ्लैग पावर लि० को 10 वर्षों की लीज पर दिये जाने की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं०-8बी/यू०सी०पी०/०१/१०७/२००८/एफ०सी०/९८१ दिनांक 07.08.2008 के द्वारा पत्र में अधिरोपित शर्तों के अधीन दी गयी थी।
9. प्रश्नगत 0.759 हे० वन भूमि के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्वीकृति सम्बन्धी उक्त पत्र के क्रम में उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग ने अपने पत्र सं० जी०आई०-1781/7-1-2008-800(2213)/2008 दिनांक 21.08.2008 के द्वारा भी 0.759 हे० वन भूमि सनफ्लैग पावर लि० को पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन 10 वर्षों की लीज पर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।
10. प्रश्नगत लीज के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग के उक्त पत्र दिनांक 21.08.2008 में अधिरोपित शर्तों के अधीन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभावित वृक्षों के 10 गुने अर्थात् 90 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं रख-रखाव हेतु मु०-90,000.00 (रुपये नब्बे हजार मात्र), प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण एवं रख-रखाव हेतु मु०-76,811.00 (रुपये छियत्तर हजार आठ सौ ग्यारह मात्र) एवं एन०पी०वी० मद में मु०-5,69,250.00 (रुपये पांच लाख उनहत्तर हजार दो सौ पचास मात्र) धनराशि का बैंकर्स चैक नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में अपने पत्रांक-SF/TRS/Forest/08/174 दिनांक 08.05.2008 के द्वारा पूर्व में जमा किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित नवीन शर्तों, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण आदि के सम्बन्ध में पुनरीक्षित दरों, मलवा निस्तारण की विस्तृत योजना आदि के अधीन लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव गठन हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या विचारार्थ संस्तुत है।


(राजीव पाण्डेय)
वरिष्ठ प्रबन्धक,
सनफ्लैग लिमिटेड


(बी० एल० शाह)
राजस्व निरीक्षक,
ठडियार


(आर० पी० थपलियाल)
वन क्षेत्राधिकारी,
देवता


(आर० श्रीवास्तव)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला


(पी० एस० साहा)
उप जिलाधिकारी,
पुरोला

उप निरीक्षक
पुरोला
विभाग पुरोला